परिपत्र संख्या-स0द0-2020-21/ /कम्प्यूटर0परि0सं0- 676/2021023//वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 21 अक्टूबर, 2020

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0),

डि.कमि./असि.कमि./वा.क.अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय- परिपत्र संख्या-2021007 दिनांक 09-07-2020 के संशोधन के सम्बन्ध में।

सचलदल इकाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा-68, धारा-129 एवं धारा-130 के अन्तर्गत परिवहन के दौरान माल एवं वाहन के डिटेन्शन, अवमुक्त एवं जब्त किए जाने के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या-स0द0-2020-21/203/कम्प्यूटर परि0 संख्या-2021007 दिनांक 09-07-2020 से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उक्त संदर्भित परिपत्र के प्रस्तर-11 में "परिवहन के दौरान रोके गए माल की जांच के पश्चात जहां प्रापर आफीसर द्वारा यह पाया जाए कि ऐसे माल का परिवहन करापवंचन के उद्देश्य से किया जा रहा है तब वह धारा-129 में कार्यवाही के बजाय सीधे धारा-130 में ऐसे माल एवं उसमें प्रयुक्त वाहन के जब्ती की कार्यवाही प्रस्तावित कर सकता है। ऐसे मामलों में परिवहन के दौरान वाहन को इंटरसेप्ट किए जाने से लेकर FORM GST MOV-04 जारी करने तक निर्धारित आनलाईन प्रक्रिया का पालन करते हुए सीधे धारा-130 के अन्तर्गत माल तथा वाहन की जब्ती और अर्थदण्ड आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु FORM GST MOV-10 में अलग-अलग नोटिस जारी की जाएगी तथा इनकी समरी इलेक्ट्रानिकली FORM GST DRC-01 में कामन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।" दिए गए निर्देश के क्रियान्यवन में फील्ड के अधिकारियों द्वारा अलग-अलग मापदंड अपनाया जा रहा है।

अतः प्रान्तीय अधिनियम एवं नियमावली में विहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माल के परिवहन के मामलों में फील्ड में कार्यरत सचलदल इकाइयों द्वारा धारा-129 और धारा-130 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से परिपत्र संख्या-स0द0-2020-21/203/कम्प्यूटर परि0 संख्या-2021007 दिनांक 09-07-2020 के प्रस्तर-11 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।